**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2995**

**13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**खाद्य उत्पादों में प्रसंस्करण अवयवों की लेबलिंग**

**2995. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खाद्य उत्पादों में प्रसंस्करण में प्रयुक्त अवयवों, रसायनों, रंगों और अन्य पदार्थों की स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ताकि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपभोग किए जाने वाले पदार्थों के बारे में जागरूक बनाया जा सके; और

(ख) झूठे विज्ञापनों के माध्यम से ब्रांडों द्वारा उपभोक्ताओं को गुमराह करने से रोकने और खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जिसमें पैक किए हुए खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं। विनियम के अनुसार प्रत्येक पैक के पीछे पोषक तत्वों और अनुशंसित दैनिक मात्रा (आरडीए) में उनके अंशदान का प्रतिशत में प्रदर्शित करना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता पोषकतत्व संबंधी सूचना से विकल्प चयन में समर्थ हो सकें। इन विनियमों में खाद्य उत्पादों के लिए स्पष्ट और विस्तृत लेबलिंग और प्रदर्शन आवश्यकताएँ जैसे कि पोषण संबंधी जानकारी, सामग्री की सूची, एफएसएसएआई लोगो और लाइसेंस संख्या, शुद्ध मात्रा, वजन, मात्रा या उत्पाद की गिनती, बैच संख्या/लॉट

कोड, विनिर्माण और समाप्ति तिथि अनिवार्य हैं। लेबल पर शाकाहारी/मांसाहारी लोगो आदि उपभोक्ता के लिए सूचित विकल्प के रूप में हैं।

इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 में 'अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में विज्ञापन पर प्रतिबंध और निषेध' का प्रावधान है तथा धारा 53 में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति' का प्रावधान है।

साथ ही, एफएसएसएआई ने भ्रामक दावों, लेबलिंग और विज्ञापनों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 बनाए हैं। ये विनियम खाद्य उद्योग में सटीक और जबावदेह विज्ञापन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। यह विनियमन सुनिश्चित करता है कि खाद्य-संबंधी विज्ञापन और दावे सटीक, गैर-भ्रामक हों और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। यह भ्रामक सूचना को रोकने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए पोषण, स्वास्थ्य लाभ और लेबलिंग से संबंधित दावों को नियंत्रित करता है।

******